हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 2/12/2023 (11:00 पूर्वाहन) को मैसर्स श्री जसवंत सिंह, ग्राम सलिहार तहसील खुंडियो जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश की खसरा नंबर 162/2 और 1/159 क्षेत्रफल 02-58-35 हेक्टेयर या 30.13 बीघा मौजा मोहाल फूलपुर शमशेरगढ जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश पर रेत, पत्थर व बजरी (क्षमता 31500 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 2/12/2023 (11:00 पूर्वाहन) को मैसर्स श्री जसवंत सिंह, ग्राम सलिहार तहसील खुंडियो जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई बांगरन पुल के समीप ग्राम पंचायत फूलपुर तहसील पावंटा साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई। प्रस्तावित खनन पट्टा मौजा मोहाल फूलपुर शमशेरगढ, खसरा नंबर 162/2 और 159/1 और कुल खनन क्षेत्र 02-58-35 हेक्टेयर (30.13 बीघा) तहसील पॉवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) भूमि पर रेत, पत्थर व बजरी खनन (क्षमता 31500 टन प्रति वर्ष) हेतु, ई. आई. ए. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर कि अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि अनुलग्नक-1 में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरमौर के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कि पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। अन्त मे कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिपण्णी
1	श्री पवन शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि- (i) परियोजना प्रस्तावक बताए कि खनन क्षेत्र मे ढुलान हेतु चलने वाले वाहनो के कारण जो धूल मिट्टी उड़ेगी उसकी रोकथाम हेतु क्या प्रावधान किया जाएगा। (ii) प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट के लिए क्षेत्र कहाँ निर्धारित किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि - (i) धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पहुँच मार्ग के दोनो ओर पौधारोपण कर ग्रीन बेल्ट को विकसित किया जाएगा व सड़क पर दिन मे दो से तीन बार पानी के टैंकर से छिड़काव किया जाएगा। (ii) पौधारोपण के लिए क्षेत्र का चुनाव पंचायत के साथ परामर्श करने के पश्चात निर्धारित किया जाएगा। (iii) खनन पट्टा क्षेत्र मे कर्मचारी व मजदूरो के लिए मॉड्युलर शौचालय का प्रावधान किया जाएगा।
2	श्री प्रेम दास, ग्राम काहनूवाला, पोस्ट ऑफिस शिवपुर, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर,	इन्होने कहा कि- (i) प्राय इस प्रकार कि परियोजना लगने से पहले जल छिड़काव जैसे प्रावधान किए जाते है परन्तु जल छिड़काव कभी भी किया नही जाता। (ii) ढुलान के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर चलने से हमे बहुत नुकसान होता है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि - परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया की जल छिड़काव नियमित रूप से किया जाएगा तथा वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं की जाएगी व माल को ट्रैक्टर में तरपाल से ढक कर ले जाया जाएगा। जिला खनन अधिकारी सिरमौर- इन्होने कहा कि-

		ट्रेक्टर से रेत, बजरी व पत्थर सड़क पर गिरता रहता है जिससे सड़क को नुकसान होता है और साथ लगी दुकाने भी क्षतिग्रस्त करते है। माल ढुलाई के लिए जो ट्रैक्टर जाते हैं। पत्थर रोड पर नहीं गिरना चाहिए। लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।	(i) यह पाया गया है कि परियोजना प्रस्तावक कुछ दिन तक पानी का छिड़काव कच्ची सड़को पर करते हैं व उसके बाद छिड़काव करना बंद कर देते हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि परियोजना प्रस्तावक खुद पानी का छिड़काव ना कर पंचायत के जरिए पानी के छिड़काव की प्रणाली तैयार करें। (ii) ओवरलोडिंग की समस्या एक हफ्ते के भीतर हल की जाएगी
3	श्री गुरचरण सिंह उप-प्रधान ग्राम पंचायत फूलपुर, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि – (i) सिंचाई के लिए नदी का पानी बांध लगा कर कूहल के माध्यम से कुएँ मे डाला जाता है जो कि बरसात मे बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाती है। अतः हमारा आपसे निवेदन है कि पक्की कूहल बनवा कर कुएँ में पानी डाला जाए। (ii) फूलपुर पंचायत के स्थाई निवासियों के अधिक से अधिक ट्रैक्टर लगने चाहिए। ट्रैक्टरों की ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए व सड़कों पर पत्थर नहीं गिरने चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि- योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी एवं खनन किए गये रेत, बजरी को ढक कर ही ले जाया जाएगा।
4	श्री गुरविंदर सिंह बी.डी.सी. मेंबर शिवपुर वार्ड, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि – खनन इलाके के विकास के लिए आवश्यक है तथा इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए परन्तु खनन कार्य नियमानुसार होना चाहिए। खनिज को पट्टे से निर्धारित मात्रा में उठाया जाए व वाहनो की आवाजाही निर्धारित समयानुसार ही हो। साथ ही इन्होने कहा कि ट्रेक्टरो में माल ढक कर ही ले जाया जाए व परियोजना में क्षेत्र के विकास के लिए जो बातें लिखी गई है उन पर अमल हो।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि - क्षेत्र के विकास के लिए CSR राशि को पंचायत के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात ही खर्चा जाएगा।
5	श्री विनोद कुमार, ग्राम पंचायत सालवाला, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि – (i) ट्रैक्टर स्थानीय लोगों के नहीं लगाए जाते, सालवाला पंचायत के भी ट्रैक्टर लगाए जाएं क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ से भी गुजरते है। (ii) पानी का छिड़काव नियमित रूप से नहीं होता है तथा राज्य वन विभाग की जमीन का इस्तेमाल कर माल की ढुलाई की जाती है जो कि अवैध है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि - स्थानीय लोगो को रोजगार दिया जाएगा तथा धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा।

6	श्री रमेश चंद ग्राम पुरूवाला, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	**इन्होने कहा कि –** माल ले जाने के लिए फॉरेस्ट की जमीन का इस्तेमाल ना हो तथा माल ढुलाई के लिए एक ही रास्ता बनाया जाए। बेतरतीब खुदाई से नदी द्वारा वन भूमि का कटाव हो रहा है। खनन पट्टे के पास शौचालय का प्रावधान भी किया जाए। ।	**परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि** खनन पट्टे तक पहुँच मार्ग का चयन ग्रामपंचायत के साथ विचार विमर्श करने के बाद किया जाएगा । **क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरमौर ने कहा कि-** खनिज ढुलान में उपयोग होने वाले रास्ते को परियोजना प्रस्तावक परियोजना के शुरू होने से पहले ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर करवा ले।
7	श्रीमती सुरूपो देवी ग्राम बांगरण, फूलपुर पंचायत, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	**इन्होने कहा कि –** मेरा घर नदी के किनारे पर स्थित है और हर वर्ष बरसातों में भूमि कटाव होने से हमारे घर को खतरा हो रहा है। मेरा आग्रह है कि नदी किनारो पर पक्के डंगे लगाए जाए जिस से भूमि कटाव रोका जा सके।	**क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरमौर ने कहा कि**-आपकी बात को जनसुनवाई कार्यवाही विवरण में दर्ज कर सम्बंधित विभाग को अग्रिम कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा।
8	श्री गुरदेव, ग्राम-पंचायत फूलपुर, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	**इन्होने कहा कि –** पूर्व में भी इसी प्रकार की जनसुनवाई में हमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया था कि स्थानीय लोगो के ट्रैक्टर लगाए जायेगे परन्तु उनके द्वारा न तो ट्रैक्टर लगाए गए और न ही माल लीज क्षेत्र से उठाया जाता है अपितु किसी अन्य क्षेत्र से उठाया जाता है।	**जिला खनन अधिकारी सिरमौर-** **इन्होने कहा कि-** स्थानीय लोगो के ट्रैक्टर माल ढुलान हेतु लगवाने के लिए परियोजना प्रस्तावको के साथ मिलकर समाधान किया जाएगा।
9	श्री गुरमुख सिंह, ग्राम-पंचायत फूलपुर, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	**इन्होने कहा कि –** ग्राम पंचायत फूलपुर की आम जनता को घर बनाने हेतु निशुल्क रेत, बजरी मिलनी चाहिए।	**परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि -** स्थानीय आम लोगों को घर बनाने हेतु माल उचित दाम पर दिया जाएगा। व्यक्तिगत कार्य के लिए निशुल्क माल नहीं दिया जाएगा।
10	श्री रमेश कुमार ग्राम पंचायत नवादा, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	**इन्होने कहा कि–** जितने भी ट्रैक्टर लगे हैं वे नदी के रास्ते ही जाएं व मुख्य रोड से आवागमन न हो क्योंकि सड़क किनारे बसे लोगों को धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है।	**जिला खनन अधिकारी सिरमौर-** **इन्होने कहा कि-** माल को खनन पट्टे से नदी के रास्ते क्रेशर तक ले जाने की सम्भावना पर विचार विमर्श किया जाएगा ।

11	श्री दल सिंह ग्राम बांगरण, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि– रात भर ट्रैक्टरों के चलने की वजह से व मशीनों से खनन करने की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है।	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरमौर ने कहा कि- आपकी शिकायत अलग से सम्बन्धित विभाग को भेजकर व आप को संपर्क करने पश्चात कार्रवाई की जाएगी। (भूमि कटाव का मुद्दा उपमंडलीय भूमि संरक्षण अधिकारी पावंटा साहिब को पत्र के माध्यम से आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है "अनुलग्नक-2")
12	श्री रणजीत सिंह ग्राम बांगरण, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि– मशीनों द्वारा खनन किया जा रहा है व भूमि कटाव का खतरा बना हुआ है। खनन कार्य मज़दूरों द्वारा ही किया जाना चाहिए।	
13	श्री हाजी मुस्ताख अली, ग्राम बांगरण, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि– राजबन में क्रशरों की धुल मिट्टी से फसलों को नुकसान हो रहा है।	क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिरमौर ने कहा कि- आपकी शिकायत पर औचक निरीक्षण किया जाएगा व उलंघन करने वाले पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
14	श्री नरेश कुमार ग्राम पंचायत फूलपुर, तहसील पॉवटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि– खनन की गहराई निर्धारित सीमा से ज्यादा की जाती है व मशीनों से खनन किया जा रहा है।	जिला खनन अधिकारी सिरमौर - इन्होने कहा कि– मशीनों से खनन करने की विभाग द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है। यदि मशीनों से खनन किया जा रहा है तो विभाग को स्पॉट दिखाएं व उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। (मशीनों से खनन का मुद्दा जिला खनन अधिकारी सिरमौर को पत्र के माध्यम से आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है "अनुलग्नक-3")

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावो, विचारो और टिप्पणियों को नोट किया गया है एवं इस जनसुनवाई की कार्यवाही को कलमबध कर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा। अंत मे जनसुनवाई के समापन पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया। उपस्थित लोगों द्वारा दिए गए सुझावों पर यदि अमल हो व खनन कार्य नियमो /मापदंडो का पालन करते हुए किया जाए तो लोगों को इस परियोजना के लगने एवं चलने से कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जनसुनवाई सफल रही।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर
नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)